न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, नाथद्वारा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : पुरूषोत्तम लाल सैनी, आरजेएस
{जिला न्यायाधीश संवर्ग}

दाण्डिक विविध प्रकरण संख्या : 126/2026
(CIS No. 126/2026)
(CNR No. RJRS060004282026)
प्र.सू.रि. संख्या : 125/2026 पुलिस थाना खमनौर, जिला राजसमंद

गोविन्द पुत्र मदनलाल खटीक, उम्र 29 वर्ष, निवासी कोठारिया, थाना नाथद्वारा ग्रामीण, जिला राजसमन्द (राज.)

——प्रार्थी/अभियुक्त

विरूद्ध

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक। **—— अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध अंतर्गत धारा 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री सन्मति सौरभ माण्डोत – विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री लोकेश कुमार माली – विद्वान अपर लोक अभियोजक

आदेश

दिनांक : 02.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त **गोविन्द** की ओर से नियमित जमानत का प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का पुलिस थाना खमनौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2026 अन्तर्गत धारा 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में जरिये अधिवक्ता के पेश किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई, अनुसंधान पत्रावली तलब की गई।

2. संक्षिप्त में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 22.06.2026 को प्रार्थी मांगीलाल पिता भैरूलाल जैन, उम्र 64 वर्ष, निवासी सलोदा ने उपस्थित थाना हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसके खेतनामी कातवाला रेहट राजस्व गांव सलोदा में स्थित है जहां सिंचाई हेतु 5 एच.पी. की मोटर और थ्री फेस केबल कॉपर वाली लगी हुई है। दिनांक 21.06.2026 की रात को अज्ञात व्यक्ति उसकी बोरिंग की मोटर की 200 फीट केबल काटकर चुराकर ले गये। उसे करीबन दस हजार रुपये का नुकसान हुआ और उसकी केबल चुराकर अज्ञात व्यक्ति ले गये.....इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पुलिस थाना खमनौर के द्वारा प्रकरण संख्या 125/2026 अपराध अंतर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज किया जाकर

अनुसंधान प्रारंभ किया गया एवं दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 303(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. केस डायरी के अवलोकन से अभियुक्त **दिनेश उर्फ जगदीशनाथ** के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से है :–

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट नंबर	वि.वि
———शून्य———				

4. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई।

5. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया गया हैं, वह निर्दोष हैं। प्रार्थी/अभियुक्त गिरफ्तारी दिनांक से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई केबल की चोरी नहीं की गयी है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत पर रहने पर प्रकरण के विचारण पर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है तथा उसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के बिना वजह जेल में रहने से व अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों की संगत से उसका भविष्य खराब होने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपनी बहस में चोरी का अपराध होने से प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। केस डायरी का आद्योपरांत परिशीलन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण संख्या 125/2026 अंतर्गत धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 में दर्ज होकर प्रकरण पुलिस थाना खमनौर में अनुसंधानाधीन है। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सहअभियुक्त पर परिवादी के खेत से मोटर की 200 फीट केबल चुराकर ले जाने का आरोप है। प्रकरण मजिस्ट्रेट ट्रायल है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 24.06.2026 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं

किया जा सकता है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रकट होता है।

8. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **गोविन्द** की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से 25–25 हजार रुपये की दो मौतबिर जमानतें एवं 50,000/–रूपये का स्वयं का बंधपत्र न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत् न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा के संतोषप्रद प्रस्तुत कर प्रमाणित करा लें तो उसे पुलिस थाना खमनौर की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 125/2026 में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)

9. आदेश आज दिनांक **02.07.2026** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)